रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1972/फाल्गुन 28, 1893
No. 155] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1972/PHALGUNA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

INSURANCE

New Delhi, the 18th March 1972

S.O. 208(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971, (50 of 1971), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 5483, dated the 10th December, 1971, namely:—

(1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Goods) Insurance (Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 1972.

2. In the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme, for sub-paragraph (1) of paragraph 10, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 30th day of June, 1972, shall,—

(a) in respect of a policy of insurance in force on the 21st March, 1972, be nil:

(b) in the case of all new policies, including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of six paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured."

[No. F. 66(13)-Ins.I/71-I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

बीमा

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

का० आ० 208 (अ).—आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 50) की धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 10 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 5483 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1972 होगा ।

(2) यह अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

2. आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में, पैरा 10 के उपपैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(1) बीमा की किसी पालिसी के अधीन, जून, 1972 के तीसवें दिन को समाप्त होने वाली तिमाही की बाबत संदेय प्रीमियम,—

(क) 31 मार्च, 1972 को प्रवृत्त बीमा की पालिसी की बाबत शून्य होगा ;

(ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिनके अन्तर्गत विद्यमान, पालिसियों की अनुपूरक पालिसियां भी आती है, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रुपए या उसके किसी भाग के लिए छह पैसे की दर पर होगा ।"

[सं० फा० 66 (13)-बीमा 1/71-I]

S.O. 209(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971, (51 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenu and Insurance) No. S.O. 5486, dated the 10th December, 1971, namely:—

(1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the 1st day of April, 1972.

2. In the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, for sub-paragraph (1) of paragraph 8, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 30th day of June, 1972, shall,—

(a) in respect of a policy of insurance in force on the 31st March, 1972 be nil,

(b) in the case of all new policies, including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of ten paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured."

[No. F. 66(13)-Ins I/71-II.]

A. RAJAGOPALAN,
Officer on Special Duty & *Ex-Officio*.
Addl: Secy.

का० आ० 209(अ).—आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 10 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 5486 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1972 होगा ।

(2) यह अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

2. आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में, पैरा 8 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) बीमा की किसी पालिसी के अधीन, जून, 1972 के तीसवें दिन को समाप्त होने वाली तिमाही की बाबत संदेय प्रीमियम,—

(क) 31 मार्च, 1972 को प्रवृत्त बीमा की पालिसी की बाबत, शून्य होगा ;

(ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिनके अन्तर्गत विद्यमान पालिसियों की अनुपूरक पालिसियां भी आती हैं, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रूपए, या उसके किसी भाग के लिए दस पैसे की दर पर होगा ।"

[सं० फा० 66(13)—बीमा 1/71—II]

अ० राजगोपालन,
विशेष कार्य अधिकारी और पदेन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972